

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

1323
2013-2014

आदेश पत्रक नं० 1323

तारीख 28.9.13 से 01.10.13 तक

जिला पटना अनुमण्डल - बाढ़, अंचल - बाढ़ का केस का प्रकार दारपील एपारिण
एवं वर्ष 13-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
28.9.13	<p>श्री/श्रीमति <u>रेखा देवी</u> पिता/पति <u>झाहरशर्मा</u> ग्राम <u>अचुशारा</u> थाना <u>बाढ़</u> जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/करडीशनामा बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>01.10.13</u> को उपस्थापित करे।</p> <p style="text-align: center;">जमीन का विवरण</p> <p>ग्राम/थाना नं० <u>अचुशारा</u> खाता नं० <u>18, 18</u> <u>34</u> <u>679, 699</u> खेसरा रकबा <u>59.321 + 0.7581 = 3.87581.</u></p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी बाढ़</p>	21.10.13
01.10.13	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

3/29/9/13

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / वस्तीसन्धामा
बैंकसि / विनियम / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता, विकेता एवं आम
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ४/१०/१३
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

४/१०/१३

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक ९/१०/१३
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

०९/१०/१३

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

अंचल अधिकारी
बाढ़